न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(आर.सी.ढेनवाल,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 63/2018
प्रविष्टि दिनांक 22.10.2018

1—अबुल हसन पुत्र अब्दुल लतीफ नि0 वार्ड नं0 29 सांगानेर बाजार कस्बा सांगानेर जिला जयपुर राज0
2—जावेद खॉन पुत्र अब्दुल लतीफ नि0 वार्ड नं0 29 सांगानेर बाजार कस्बा सांगानेर जिला जयपुर राज0
3—अब्दुल जब्बार पुत्र अब्दुल लतीफ नि0 वार्ड नं0 29 सांगानेर बाजार कस्बा सांगानेर जिला जयपुर राज0
4—मोहम्मद इकबाल पुत्र अब्दुल लतीफ नि0 वार्ड नं0 29 सांगानेर बाजार कस्बा सांगानेर जिला जयपुर राज0
5—इमरान खॉन पुत्र अब्दुल लतीफ नि0 वार्ड नं0 29 सांगानेर बाजार कस्बा सांगानेर जिला जयपुर राज0

—अपीलान्ट्स

बनाम

1—लादू लाल पुत्र श्योजीलाल जाति गूर्जर निवासी ग्राम मंडालिया तहसील निवाई जिला टोंक

—रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 3—4—2018 तहसीलदार निवाई बाबत तरमीम भूमि खसरा नम्बर 796/52 ग्राम सीन्दरा तह0 निवाई जिला—टोंक

उपस्थिति : (1) श्री अबरार अहमद अभिभाषक अपीलान्ट्स
(2) श्री जितेन्द्र कुमार जैन अभिभाषक अपीलान्ट

निर्णय **दिनांक 16—1—2019**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि तहसीलदार निवाई द्वारा ग्राम सीन्दरा की भूमि खसरा नम्बर 796/52 में रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रार्थना पर प्रस्तुत करने पर दिनाक 03.04.2018 द्वारा तरमीम किये जाने का आदेश प्रदान किया है। तहसीलदार निवाई के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु यह अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए नोटिस की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

अपीलान्ट के अभिभाषक ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि भूमि खसरा नम्बर 796 बडा रकबा है जिसमें से 7 बीघा भूमि का आवण्टन रेस्पोडेण्ट को किया जाकर खसरा नम्बर 796/52 कायम किया है। रेस्पोडेण्ट का उक्त भूमि पर कब्जा नहीं है। तहसीलदार द्वारा बिना मौके व कब्जे की जॉच किये तरमीम करने के आदेश दिनांक 3–4–18 को दिये हें जो पूर्णतः अवैध व अनियमित होने की वजह से निरस्तनीय हैं।

अभिभाषक रेस्पोडेण्ट ने प्रारम्भिक आपत्ति में अपील का जवाब देतु हुए कथन किया कि तहसीलदार निवाई द्वारा पारित आदेश दिनांक 3–4–2018 जिसमें खसरा नम्बर 396/52 की तरमीम करने का आदेश दिया है जिसके विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष धारा 75 रा0ले0रे0एक्ट के तहत प्रथम अपील चलने योग्य नहीं है। क्योंकि यह तरमीम का आदेश है जो कि यह विवादित आदेश की श्रेणी में भी आता हे ऐसे स्थिति मे उक्त अपील की सुनवाई का अधिकार इस न्यायालय को नहीं होने से कानूनी आपत्ति के आधार पर अपील खारिज किये जाने योग्य है। अभिभाषक द्वारा दौराने बहस यह भी कथन किया कि प्रार्थी की भूमि के सम्बन्ध में राजस्व कर्मचारियों द्वारा मौके पर जाकर बाद जॉच कब्जे काश्त के अनुसार तरमीम की है जो किसी प्रकार की वैधानिक .त्रूटी नहीं है। अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि रेस्पोडेण्ट लादूलाल पुत्र श्योजीलाल द्वारा दिनांक 22–1–2018 को तहसीलदार निवाई के समक्ष तरमीम किये जाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार निवाई ने पत्र क्रमांक 395 दिनांक 22–1–2018 से पटवारी हल्का को जॉच हेतु भिजवाया गया। पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 5–3–2018 को मौके पर मोतबिरान के सामने भूमि के कब्जे सम्बन्धी जॉच की तत्पश्चात जॉच दिनांक 25–3–2018 को तहसीलदर के समक्ष प्रस्तुत करने पर लादूलाल पुत्र श्योजीलाल गूर्जर की निवासी मण्डालिया की ग्राम सीन्दरा के खसरा नम्बर 796/52 की तरमीम के आदेश दिये कि किसी न्यायालय में स्थगन नहीं हो निर्विवादित हो तो तरमीम की जाकर रिपोर्ट पेश करें, तरमीम का आदेश दिनांक 3–4–2018 नियमानुसार दिया गया है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार निवाई द्वारा पारित आदेश को अपास्त किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय आज दिनांक 16–1–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आर.सी.ढेनवाल)
जिला कलेक्टर, टोक
जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner